FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारीलाल बनाम सुवादेवी

किस्म मुकदमा इजराय नं. 14 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-12-20	वादी वकील श्री फूलचन्द सामोता एड. ने उपस्थित होकर इजराय पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि- 28-10-20 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण मे किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्ती होने पालना रिपोर्ट दिनाक 15-1-21 को पेश हो।	
27.02.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवार हल्का सिहोडी के हाल पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस [illegible] द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 327 दिनांक 16.12.22 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किय जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	327 / 16.12.22 हाल पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:54:40 IST
Reason: SelfAttested